राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक :पं.17(20)/प्राशि/आयो./जि. सिरोही/समन्वयन/2016 दिनांक : 14/06/2016

आदेश

एक ही राजस्व ग्राम में अत्यन्त नजदीक एक से अधिक राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित होने के कारण विद्यालयों में पर्याप्त नामांकन उपलब्ध नहीं हो पाता है। जिसके कारण आर.टी.ई. मानदण्डों के अनुसार अध्यापकों के पद स्वीकृत करने के बावजूद भी प्रत्येक कक्षा हेतु पृथक शिक्षक की उपलब्धता संभव नहीं हो पाती है एवं शिक्षा की गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित होती है।

इस स्थिति को मध्यनजर रखते हुए कम नामांकन वाले प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उसी राजस्व ग्राम के निकटतम अन्य प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय में समन्वित करने हेतु निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर द्वारा प्रस्ताव तैयार कर आयुक्त, सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर को प्रेषित किए गए। समन्वयन के प्रस्तावों की जॉच एवं परीक्षण हेतु आयुक्त,सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर से प्राप्त प्रस्तावों की आर.टी.ई. मापदण्डों के अन्तर्गत जॉच उपरान्त शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु समन्वयन के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किए गए।

विभाग द्वारा परीक्षण उपरान्त स्कूल शिक्षा में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करने के लिए जिला **सिरोही** के कम नामांकन वाले कॉलम संख्या 5 में वर्णित विद्यालय को कॉलम संख्या 6 में वर्णित विद्यालय में समन्वित किए जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:-

जिला - सिरोही

ग्रामीण क्षेत्र

जिले का नाम	ब्लॉक का नाम	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	विद्यालय का नाम जिसे समन्वित किया जाना हैं	विद्यालय का नाम जिसमें कॉलम संख्या 5 के विद्यालय का समन्वित किया जाना है	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
सिरोही	रेवदर	मारोल	मीठन	राप्रावि,वांती	राउप्रावि,मीठन	
सिरोही	रेवदर	सेलवाडा	हाथल	राप्रावि,पाटडी	राउप्रावि,हाथल	

उक्त समन्वयन निम्न दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा :-

1. समाहित होने वाले कॉलम संख्या 5 के राजकीय विद्यालय का पृथक से कोई प्रशासनिक अस्तित्व नहीं रहेगा तथा समस्त कक्षाऐं कॉलम संख्या 6 के समन्वित विद्यालय के अधीन संचालित की जायेगी।